सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096

****

परिपत्र संख्या - 17

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/ई-वेस्ट/पार्ट फाइल/वॉल्यू-IV/ **दिनांकः 27.10.2017**

विषयः ई-अपशिष्ट/लीड एसिड बैटरी/सैफ्टिक टैंक के स्लज़ / गटर वेस्ट में नॉन टॉक्सिक हेवी मेटल के निपटान हेतु एजेन्सियों का नामिकायन ।

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी किए सभी अनुदेशों को अधिक्रांत करते हुए निम्नानुसार अनुदेश जारी किए जाते हैं:-

महाराष्ट्र, गोवा राज्य तथा दमण, दीव तथा नगर हवेली संघ राज्य में स्थित सेज़ यूनिट विकास आयुक्त, सीप्ज-सेज़ के साथ नामिकागत (इम्पैन्ल्ड) एजेन्सियों के माध्यम से ई-अपशिष्ट / लीड एसिड बैटरी / सैफ्टिक टैंक के स्लज़ / गटर वेस्ट में नॉन टॉक्सिक हेवी मेटल का निपटान कर सकते है । नामिकागत एजेन्सियों के नाम सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे जिसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना के लिए वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

उपर्युक्त अपशिष्टों का निपटान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक है । अतएव, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के साथ नामिकागत एजेन्सियों को ही ज़ोन से उपर्युक्त अपशिष्टों का निपटान करने की अनुमति दी जाएगी । नामिकायन की इच्छुक एजेन्सियां विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ को निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकती हैः-

1) संलग्न आवेदन फॉर्मेट के अनुसार एजेन्सी का प्रोफाइल (एजेन्सी को अपने पत्र शीर्ष पर प्रोफॉर्मा में आवेदन करना है)।
2) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र संबंधित राज्यों से प्रदूषण बोर्ड प्रमाणपत्र की वैध स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उपर्युक्त कार्यों की प्रकृति का विवरण दिया गया हो ।
3) वार्षिक पंजीकरण प्रभार तथा प्रतिभूति जमा के रूप में क्रमशः 15,000/- रू. तथा 1,00,000/- रू. प्रतिदेय देना होगा ।
4) वार्षिक आधार पर पंजीकरण वैधता का नवीकरण ।
5) सीप्ज़ किसी विलंब अथवा दस्तावेज़ों के खोने / पोस्ट / कूरियर आदि के लिए जिम्मेदार नही होगा ।

...2...

6) सीप्ज़ को पॉलिसी में दी गई शर्तों, प्रक्रियाओं, अपेक्षाओं, मूल्यांकन विधियों को हटाने, आशोधित करने, संशोधित करने का अधिकार है ।

7) सक्षम प्राधिकारी, सीप्ज़ को विक्रेता अथवा के असंतोषजनक निष्पादन के आधार पर अथवा आवेदन में गलत सूचना/घोषणा देने के आधार पर आवेदन रोकने का अधिकार है ।

8) जिन विक्रेताओं को कभी अस्वीकृत किया गया है/जिनको काली सूची में डाला गया है, वे पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

9) आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अथवा उसके विरूद्ध कोई मामला लंबित न हो तथा यदि, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत रहने की अवधि के दौरान यह पाया जाता है, तो सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को विक्रेता के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा नामिका को समाप्त करने/काली सूची में उसका नाम डालने का अधिकार होगा ।

10) यह सूची तिमाही आधार पर 1 मार्च, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को अद्यतन की जाएगी ।

आवेदन देने की संशोधित अनुसूची इस प्रकार हैः-

समय	प्रकाशन तिथि
15 मार्च तक	1 अप्रैल
20 जून तक	1 जुलाई
15 सितंबर तक	1 अक्टूबर
15 दिसंबर तक	1 जनवरी

नामिकायन की वैधता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र की सहविस्तारी होगी तथा इस संबंध में, कोई अलग पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

(महेश यादव)
संपदा (प्रबंधक) / उविआ
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

1. महाराष्ट्र में स्थित सभी सेज़ गोवा, दमण, दीव तथा नगर हवेली ।
2. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीप्ज़-सेज़ ।
3. विकास आयुक्त कार्यालय के अधीन यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं ।
4. सुरक्षा अनुभाग, सीप्ज़-सेज़ ।
5. अभीक्षक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण ।
6. आइटी अनुभाग – उक्त पॉलिसी सीप्ज़ वेबसाइट "www.seepz.gov.in" पर अपलोड किया जाएगा ।

विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए प्रोफाइल फॉर्मेट

प्रतिष्ठान का नामः

नियोक्ता का नाम तथा पताः

टेलीफोन तथा मोबाइल नं.

व्यवसाय की प्रकृतिः

फैक्स नं.

ई-मेल पताः

पंजीकरण संख्याः

एमपीसीबी अथवा अन्य किसी राज्य का लाइसेन्स नंबरः

एमपीसीबी की वैधता अवधि

पैन नं.

जीएसटी पंजीकरण संख्याः

जारी करने की तारीख

मूल्यवर्धित कर के अधीन टिन नं.

गैरअपराधी होने का प्रमाणपत्रः

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI – 400 096.

Circular No. 17

SEEPZ-SEZ/EMS/E-waste/part file/Vol-IV Dated ~~25~~ 27.10.2017

Sub: Empanelment of agencies for disposal of e-waste/lead acid batteries/sludge through septic tank/gutter waste containing non-toxic heavy metals.

In supersession of all earlier instructions on the above subject, the following instructions are issued:-

The SEZ units located in the State of Maharashtra, Goa and Union Territory of Daman, Diu and Nagar Haveli can dispose of e-waste/lead acid batteries/sludge through septic tank/gutter waste containing non-toxic heavy metals, through any of the agencies empanelled with the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ. The names of agencies empanelled will be notified by way of public notice, a copy of which will be hosted on the website for information of all concerned.

The disposal of the above – mentioned waste need to be in accordance with the norms prescribed by the respective State/Union Territory Administration Pollution Control Board. Therefore it is hereby informed that only agencies empanelled with the Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ would be allowed to dispose of the above mentioned waste from the Zone. The agencies interested in empanelment may apply to the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ enclosing the following documents:-

1) Profile of the Agency as per attached application format. (The Agency shall provide the performa on their letter head)
2) A copy if the self certified valid Maharashtra Pollution Control Board Certificate or Pollution Control Board Certificate from respective states mentioning the above mentioned nature of work.
3) Yearly registration charges to be charged for registration of Rs. 15,000/- & security deposit of Rs. 1 lac (Refundable)
4) The validity to renewal of registration on yearly basis.
5) SEEPZ take no responsibility for any delay / loss of documents speed post/currier etc.

Cont...2/-

6) SEEPZ reserved the right to delete, modify, revise the condition procedures requirement, evalution methodologies given in this policy at any stage.

7) The Competent Authority SEEPZ reserved the right/with hold any application on the ground of unsatisfactory performance of the vendor or for furnishing false information/declaration in the application.

8) Black list vendor will not be eligible to apply for the registration once rejected or blacklisted.

9) The applicant shall not have any criminal records or case pending against him and if found during the period of empanelment SEEPZ-SEZ Authority has all the rights to take punitive action & terminate / black list the vendor

10) The list will be update on quarterly basis on 1st March, 1st July, 1st October, 1st January

The revised schedule for filling application is as follows:-

Time	**Publication date**
Up to 15th March	1st April
Up to 15th June	1st July
Up to 15th September	1st October
Up to 15th December	1st January

The Validity of empanelment will be co-terminus with the validity of Pollution Control Board Certificate and there shall be no separate communication for the same.

(Mahesh Yadav)
Manager (Estate)/DDC,
SEEPZ SEZ Authority

Copy to:
1. All SEZs in Maharashtra, Goa, Daman, Diu and Nagar Haveli
2. Specified Officer, SEEPZ-SEZ
3. All units & Public Utilities under DC officer.
4. Security Officer, SEEPZ-SEZ
5. Caretaker, SEEPZ-SEZ
6. IT Section – Host the above policy in our SEEPZ web site "www.seepz.gov.in"

Profile format for the registration vendor

Name of the Establishment:-

Name and address of the Employer:-

Telephone/Mobile no.:-

Nature of the Business:-

Fax no.:-

E-mail address:-

Registration no.:-

MPCB or any other state license no.:-

MPCB validity period:-

PAN no.:-

GST Registration no.:-

Date of issue:-

TIN under value added Tax:-

Non-criminal Certificate